फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सलुम्बर जिला–सलूम्बर

प्रार्थी– श्री तुलसीराम

विपक्षी– सरकार

किस्म मुकदमा–धारा 136 एल.आर.एक्ट.

पत्रावली संख्या– 132 /2022

दिनांक	
25–03–2025	

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पेरोकार सरकार की ओर से नायब तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित। जिन्होने जवाब पेश किया जिसे शा.फा. किया गया। पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि मौजा खराडी भागल पटवार हल्का डगार तहसील सलूम्बर में खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी तुलसीराम पिता भेरा मीणा का 1/10 हिस्सा है लेकिन राजस्व विभाग की गलती से उक्त भूमि में प्रार्थी तुलसीराम पिता भेरा मीणा के बजाय प्रार्थी का नाम थावरा पिता भेरा मीणा अंकित कर दिया है जो गलत है। प्रार्थी का वास्तविक नाम तुलसीराम पिता भेरा मीणा है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि मौजा खराडी भागल पटवार हल्का डगार मे प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी भूमि खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर में प्रार्थी का नाम थवरा पिता भेरा मीणा के स्थान पर तुलसीराम पिता भेरा मीणा दुरस्त कराये जाने का आदेश फरमावें।

पटवारी हल्का **डगार** भू.अ.निरीक्षक **बरोडा** से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। नायब तहसीलदार सलूम्बर द्वारा मौजा खराडीभागल खाता संख्या 13 मे प्रार्थी का नाम थवरा पिता भेरा मीणा के स्थान पर तुलसीराम पिता भेरा मीणा शुद्धि किये जाने की अनुशंषा की गई है।

–::आदेश::–

अतः पटवारी, भू.अ.निरीक्षक एवं तहसीलदार सलुम्बर की अनुशंषा अनुसार **मौजा खराडीभागल** पटवार हल्का डगार खाता संख्या 13 कुल किता 17 रकबा 1.10 हैक्टेयर भूमि मे अंकित नाम थावरा पुत्र भेरा के बजाय तुलसीराम पिता भेरा मीणा शुद्धि किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश जारी किया जाकर तहसीलदार सलुम्बर को पालनार्थ आदेश की प्रति भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

(शान्ति लाल जैन RAS)

उपखण्ड अधिकारी

सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर

जिला सलूम्बर